



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 973) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 235, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से कम होने कि संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर केन्द्रीय कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ब्याँरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3742)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 236, एस०ओ० 235, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3742)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

S.O. 235, dated the 13th October 2017— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made there under and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3742)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 973-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>